कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 02.10.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01.10.2024 को वक्त 07.00 पीएम से 11.00 पीएम तक पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट के तहत् कार्यवाही करने हेतु सघन वाहन चैकिंग अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में समस्त पुलिस थाना वृताधिकारीगण के सुपरविजन में मोनिटरिंग कर समस्त थानाधिकारी को अपने–अपने थाना क्षेत्रों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में सघन नाकाबन्दी वाहन चैकिंग अभियान के दौरान कुल 141 शराब पीकर वाहन चलाने वालों वाहन चालकों के विरुद्ध 185 एम. वी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जिसमे जिला पूर्व मं 37 व जिला पश्चिम में 104 वाहन चालकों के विरुद्व कार्यवाही की गई।

आमजन से अपील की जाती है कि यातायात नियमों की पूर्णता पालना करें। स्वयं के जीवन के साथ–साथ दूसरों के जीवन को खतरे में न डालें। जोधपुर पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध इस प्रकार अभियान आगे भी निरन्तर जारी रहेगा।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस–पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व वॉट्सअप नं. 9530440800 पर सूचित करे।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।